प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता) बुक नं0

1.जिला ओपी एसीबी सीकर, थाना प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्रनिब्यूरो जयपुर वर्ष 2022
प्र0सू0रि0 सं. 62/22 दिनांक 25/2/22

2.(i) अधिनियम..... भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 धारायें 7
(ii) अधिनियम.....धारायें.....
(iii) अधिनियम..... धारायें.....
(iv) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....

3.(क) रोजनामचा आम रपट संख्या.....536 समय 10.30 A.M.
(ख) अपराध घटने का दिन गुरूवार दिनांक :– 24.02.2022 समय ....01.10 पीएम .....
(ग) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :– ..... समय .....

4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक :– लिखित

5. घटनास्थल :– राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मील झुंझुनूं।
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :– सीकर से उत्तर–पूर्व दिशा में करीब 65 किलोमीटर
(ब) पता :– राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मील झुंझुनूं।
(स) यदि इस पुलिस थानासे बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना ..... जिला .....

6. परिवादी/सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम :– श्री नाहरसिंह
(ब) पिता/पति का नाम :– श्री मांगुसिंह
(स) जन्म तिथि/वर्ष :– 48 वर्ष
(द) राष्ट्रीयता– ..... भारतीय .....
(य) पासपोर्ट संख्या .....
जारी करने की तिथि ..... जारी होने की जगह .....
(र) व्यवसाय :– .....
(ल) पता :– निवासी गांव कुमास पुलिस थाना मण्डावा जिला झुंझुनूं।

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :–
श्री बल्लाराम पुत्र श्री हनुमानराम, उम्र–27 वर्ष, जाति जाट, निवासी गांव मिठडी, पुलिस थाना नांवा जिला नागौर हाल सहायक लेखा लिपिक कार्यालय राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मील झुंझुनूं।

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–.....
..... कोई देरी नहीं हुई .....

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)
.....

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य .... रिश्वती राशि 5,000 रूपये.....

11. पंचनामा/यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) .....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये) :–
दिनांक 23.02.2022 को समय 1.24 पीएम पर ब्यूरो मुख्यालय के टोल फ्री नम्बर 1064 से कॉल आने तथा परिवादी के मोबाईल नम्बर बताये जाने पर श्री जाकिर अख्तर उप अधीक्षक पुलिस द्वारा समय 01.25 पीएम पर परिवादी के मोबाईल नम्बर 9024905496 पर कॉल कर सम्पर्क किया तथा परिवादी से आरएसजीएसएम मदिरालय झुंझुनूं के श्री बलराम लेखाकार द्वारा 5000 रूपये रिश्वत की मांग किये जाने पर परिवादी को मुनासिब हिदायत दी जाकर परिवादी के चाहेनुसार समय 02.00 पीएम पर कार्यालय के श्री दलीप कुमार कानि. को कार्यालय का डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड सुपुर्द कर परिवादी के मोबाईल नम्बर बताये जाकर परिवादी से सम्पर्क कर परिवादी को टेप चालू व बन्द करने की विधि समझाने तथा परिवादी से प्रार्थना पत्र प्राप्त कर रिश्वत की मांग का सत्यापन करवाने की हिदायत

देकर रवाना झुंझुनूं किया गया था। उप अधीक्षक पुलिस ने मन् पुलिस निरीक्षक को मामले से अवगत कराया जाकर मामले में अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

कार्यवाही पुलिस

23.02.2022

7.30 पीएम इस समय श्री दलीप कुमार कानि. ने मन् पुलिस निरीक्षक सुरेशचन्द के समक्ष परिवादी नाहरसिंह पुत्र श्री मांगुसिंह, उम्र–48 वर्ष, जाति राजपूत, निवासी गांव कुमास पुलिस थाना मण्डावा जिला झुंझुनूं द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि '' वर्ष 2019 में मेरी पत्नी श्रीमती रेखा के नाम गांव शेखसर जिला झुंझुनूं में कम्पोजिट शराब की दूकान आवंटित हुई थी। वर्ष 2020 में मार्च महिने में दिनांक 23.03.2020 को शराब उठाने के लिये मैने बैंक में 92964 रूपये जमा करवाये थे, परन्तु उस समय लॉकडाउन लगने के कारण शराब नहीं आवंटित की गई उसके बाद 31.03.2020 को कार्यकाल समाप्त हो गया था। मेरा उक्त शराब उठाने से संबंधित बैक के मार्फत आबकारी विभाग में जमा करवाये गये रूपये 92964 को वापिस लेने के लिये मैने आबकारी गोदाम रिको क्षेत्र झुंझुनूं के श्री बलराम लेखाकार से मिला तो उसने मेरे से पॉच हजार रूपये रिश्वत के देने की कही। मै उक्त श्री बलराम लेखाकार को रिश्वत देना नहीं चाहता हूँ और उसको रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूँ। कानूनी कार्यवाही करें।'' श्री दलीप कुमार कानि. ने डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के सुपुर्द कर बताया कि '' झुंझुनूं पहूँच मैने परिवादी से सम्पर्क कर उससे प्रार्थना पत्र प्राप्त किया तथा परिवादी को टेप रिकार्डर चालू व बन्द की विधि समझाई गई। परिवादी के चाहेनुसार आबकारी गोदाम रिको क्षेत्र के पास पहूँच मैने परिवादी को टेप रिकार्डर सुपुर्द कर दिया तथा परिवादी के गोदाम से वापिस आने पर मैने परिवादी से टेप रिकार्डर प्राप्त कर लिया। दौराने सत्यापन जरिये दूरभाष परिवादी ने आबकारी गोदाम झुंझुनूं के श्री बलराम लेखाकार द्वारा उसकी शराब उठाने से संबंधित राशि दिलवाने के लिये 5000 रूपये रिश्वत की मांग किया जाना बताया तथा रिश्वती राशि दिनांक 24.02.2022 को देने की कही थी। टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में परिवादी द्वारा टेप की गई वार्ता को सुनने पर रिश्वत की मांग की पुष्टि हुई। टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड एवं परिवादी द्वारा कानि. दलीप कुमार को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सुरक्षित आलमारी में रखा गया। ट्रेप कार्यवाही हेतु कार्यालय अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड सीकर के श्री रविन्द्रसिंह एवं श्री राकेश कुमार कनिष्ठ सहायकगण को दिनांक 24.02.2022 को समय 8.30 एएम पर कार्यालय में उपस्थित होने हेतु जरिये तहरीर पाबन्द किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 24.02.2022 को कार्यालय अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड सीकर से स्वतंत्र गवाहान श्री रविन्द्रसिंह एवं श्री राकेश कुमार कनिष्ठ सहायकगण एवं परिवादी नाहरसिंह के उपस्थित कार्यालय आने पर परिवादी से आवश्यक पूछताछ की गई। मजिद दरियाफ्त पर परिवादी नाहरसिंह ने कानि. श्री दलीप कुमार को सुपुर्द किये गये प्रार्थना पत्र की ताईद करते हुये बताया कि ''दिनांक 23.02.2022 को मैने आबकारी गोदाम झुंझुनूं में जाकर श्री बलराम लेखाकार से वार्ता की तो उसने मेरे द्वारा शराब उठाने के पेटे आबकारी विभाग में जमा करवाये गये रूपयों का चैक वापिस देने के लिये मेरे से 5000 रूपये रिश्वत की मांग की तब मैने कहा कि आज मेरे पास पैसे नहीं है, चैक क्लियर होने के बाद पैसे दे दूंगा, तब उन्होने मेरे को 92,964 रूपयों का चैक देकर कहा कि पैसे कल दे देना'' परिवादी ने बताया कि मै शराब की दूकानों के संचालन का कार्य करता हूँ, अब यदि श्री बलराम लेखाकार को रिश्वत के 5000 रूपये नहीं दूंगा तो वह आईन्दा मेरे काम में अडचने पैदा कर सकता है। तत्पश्चात परिवादी नाहरसिंह एवं स्वतंत्र गवाहान श्री रविन्द्रसिंह एवं श्री राकेश कुमार कनिष्ठ सहायकगण का आपस में परिचय करवाया जाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दोनों गवाहान को पढकर सुनाया जाकर प्रार्थना पत्र पर दोनों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा मामलें में गवाह रहने हेतु सहमति प्राप्त की गई।

तत्पश्चात परिवादी नाहर सिंह द्वारा दौराने रिश्वत की मांग सत्यापन दिनांक 23.02.2022 को आरोपी श्री बलराम लेखाकार आबकारी गोदाम झुंझुनूं से हुई बातचीत को डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड़ किया गया, जिसका परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान की मौजूदगी में डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड से वार्ता का फर्द रूपान्तरण किया जाकर दो सीडी तैयार कर आरोपी व अन्वेषण हेतु खुली रखी गई तथा डिजिटल टेप रिकार्डर से मेमोरी कार्ड को निकालकर उसे सफेद कपड़े की थैली में सील्ड कर उस पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क ''ए'' अंकित कर सील्ड पैकेट को बतौर वजह सबूत